जन–आधार सम्बन्धी सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

- **जन–आधार योजना क्या है ?**

  उ. जन–आधार "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाना है एवं जन–आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है । इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नगद विभागीय योजनाओं के लाभ पारदर्शी रूप से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में तथा राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओ के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना एवं ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रो में विस्तार करना।

- **जन–आधार कार्ड से आम–जन को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगें ?**

  उ. इस योजना में लाभ वितरण हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम कर सूचना प्रोद्योगिकी को अपनाकर, विभिन्न राजकीय योजनाओं के नगद व गैर–नगद लाभ सीधे व पारदर्शी रूप से पात्र वास्तविक लाभार्थी को ही हस्तांतरित किये जाते है। जिसकी सूचना नियमित रूप से मोबाइल पर भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार लाभ वितरण की प्रक्रियाओं मे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

- **क्या राज्य के सभी निवासियों को जन–आधार नामांकन करवाये जाने की आवश्यकता है?**

  उ. नहीं, स्टेट रेजीडेंट डाटा रिपोजिटरी में पूर्व पंजीकृत परिवारों को 10 अंकीय जन–आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की गई है। जन–आधार पहचान संख्या को मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं वॉयस कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसे निकटस्थ ई–मित्र/ई–मित्र प्लस पर आधार/परिवार पहचान संख्या देकर भी प्राप्त किया जा सकता है।

- **नवीन पंजीकरण कैसे किया जा सकेगा ?**

  उ. जन–आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी व परिवार का व्यस्क सदस्य जन–आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई–मित्र पर निशुल्क पंजीयन करा सकता है। ज्ञात रहे पंजीयन से पूर्व जांच ले कि निवासी पहले से पंजीकृत है या नहीं। परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई सूचनाओं व अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन उपरांत 10 अंकीय जन–आधार परिवार संख्या प्रदान की जाएगी तथा उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सूचित किया जायेगा।

- **जन–आधार कार्ड कैसे प्राप्त किया जा सकेगा ?**

  उ. परिवार को जन–आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरान्त मुद्रित कार्ड सीधे सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति/ई–मित्र को वितरण हेतु प्रेषित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति के द्वारा सम्बन्धित परिवार को एकबारीय निःशुल्क कार्ड वितरित किया जाएगा। नामांकित परिवार जन–आधार ई–कार्ड, जन–आधार पोर्टल अथवा एस.एस.ओ. आई डी के माध्यम से भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।

- **क्या जन–आधार में संशोधन/अद्यतन करवाया जा सकता है ?**

  उ. हां, जन–आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई–मित्र पर करवाया जा सकेगा। संशोधन/अद्यतन परिवार के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जा सकेगा। निवासी चाहे तो अद्यतन जन–आधार ई–कार्ड को ई–मित्र प्लस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है अथवा निर्धारित शुल्क देकर पी.वी.सी. कार्ड भी प्राप्त कर सकता है।

- **जन–आधार नामांकन के समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?**

  उ. जन–आधार नामांकन के समय कम से कम निम्नलिखित में से दो दस्तावेजों की आवश्यकता है। इसमें यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि उक्त दो दस्तावेजों में एक पहचान सिद्ध करता हो तथा एक पते की जानकारी देता हो। ये दस्तावेज हैं– आधार कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पानी का बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, निवासी की फोटो एवं बैंक खाता संख्या (बैंक की पासबुक)।

- **जन–आधार नामांकन के समय किन लोगों की उपस्थिति आवश्यक है ?**

  उ. जन–आधार योजना के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन किया जाना आवश्यक है। जन–आधार योजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार को एक पारिवारिक समूह में नामांकित कर एक जन–आधार कार्ड जारी करना भी है अतः परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

- **क्या जन–आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है ?**

  उ. हाँ। चूँकि जन–आधार का मुख्य उद्देश्य सही निवासी की पहचान भी है जिसके लिए निवासी की उँगलियों के निशान तथा आँखों की पुतलियों की फोटो होना आवश्यक है अतः जन–आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है। बिना आधार नामांकन के किसी भी निवासी का जन–आधार योजना के अन्तर्गत नामांकन नहीं किया जायेगा।

- **परिवार का मुखिया किसे घोषित किया जा सकता है ?**

  उ. सामान्यतः पारिवारिक सहमति से 18 वर्ष से अधिक आयु की परिवार की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

- **क्या जन–आधार नामांकन/जन–आधार नामांकन प्रपत्र का कोई शुल्क देय होगा ?**

  उ. नहीं। जन–आधार नामांकन निःशुल्क है तथा जन–आधार नामांकन प्रपत्र का भी कोई शुल्क देय नहीं है।